भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
शहरी विकास मंत्रालय
सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054
Website: www.deptpub.gov.in
Email: acop-dep@nic.in (&) pub.dep@nic.in
TEL.: 2381 7823 / 9689 Fax: 2381 7846

सं. सी-19011/1/2014(ओ.एण्ड एम.) दिनांक 21-11-2014

कार्यालय आदेश

विषय:- शपथपत्र के उन्मूलन तथा स्वं प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन ।

शहरी विकास मंत्रालय में दिनांक 15-7-2014 के कार्या. आदेश सं. ए-46020/9/2014-समन्वय के साथ प्राप्त कार्मिक लोकशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार , लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग के दिनांक 02-11-2014 के अर्धशासकीय सं. **K**-11022/67/2012-**AR** में दी गई सिफारिशों के अनुसार प्रकाशन विभाग ने शपथ पत्र के उन्मूलन तथा प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित आसान प्रक्रिया अपनाई है –

1. व्यवस्था को सीटीजन फ्रेंडली करने के लिए विभाग ने दस्तावेजों जैसे अंक तालिका, जन्म प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ तथा फोटो इत्यादि की प्रतियां राजपत्रिक अधिकारी से प्रमाणित कराने की अपेक्षा आवेदक द्वारा स्वं प्रमाणीकरण के प्रावधान को अपनाया है ।

2. विद्यमान दिशा-निदेशों के अनुसार भारत के राजपत्र में नाम परिवर्तन/धर्म परिवर्तन इत्यादि तथा निजि/ वैक्तिको द्वारा नोटिस इत्यादि विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता होती है । अब इस संदर्भ के लिए शपथ पत्र की आवश्यकता समाप्त हो गई है तथा शपथ पत्र की जगह आवेदक द्वारा सादे कागज पर विधिवत टाईप किया हुआ आश्वासन लिया जाएगा जिसके साथ उसके ब्यौरा का विस्तृत वर्णन दिया गया है ।

3. इस विभाग में प्रचलित वर्तमान आरूप जिसे व्यक्तियों द्वारा इस विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं जैसे नाम परिवर्तन का प्रारूप (बालिग तथा नाबालिग), धर्म परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, पब्लिक नोटिस, बच्चा गोद लेने संबंधी मार्ग दर्शन इत्यादि के लिए भरा जाता है , उसका सरलीकरण किया जा चुका है । अब सूचना संशोधित/सरल आरूपों में प्राप्त की जाएगी ।

4. यह भी निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाएगा -
   (i) प्रकाशन के लिए साफ्ट प्रति (एम एस वर्ड में सी डी) के साथ हार्ड प्रति जिसमें वही विषय निहित हो,
   (ii) राजपत्रित अधिकारी के स्थान पर स्वयं सत्यापित फोटो
   (iii) विज्ञापन अनुभाग में जन-व्यवहार का समय प्रत्येक कार्य दिवस में पूर्वाहन 11:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा अपराह्न 02:00 से 05:00 बजे तक है ।

(iv) संबंधित प्रेसों द्वारा मुद्रण में किसी प्रकार की देरी के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं है ।

(v) भारत के राजपत्र के प्रकाशक होने के नाते प्रकाशन नियंत्रक को यह अधिकार है कि वह भारत के राजपत्र में मुद्रण के लिए प्राप्त दस्तावेजों/मांग पत्रों के अधूरे पाये जाने पर उन्हें अस्वीकार कर सकता है ।

(दिनेश चन्द्र)
सहायक नियंत्रक (प्रशासन)

सेवा में,

1. सं. स. एवं प्र. नि. के वै. सहा.
2. वित्तीय अधिकारी के वै. सहा.
3. सहा. नि. (वा.) के वै. सहा.
4. विज्ञापन अनुभाग
5. इस विभाग के ई-राजपत्र अनुभाग को इस कार्यालय आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
6. नोटिस बोर्ड
7. गार्ड फाईल

प्रतिलिपि प्रेषित:-

निदेशक (पी एस पी) शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली को भारत के राजपत्र में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए संशोधित मार्गदर्शन निर्देश तथा आरूप के साथ ।

. सहायक नियंत्रक (प्रशासन)